

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री देवीलाल गाडरी

विपक्षी :- राज्य

किस्म मुकदमा :- 136 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :- 23/25 विविध

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/66

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|--|--|
| | <p>दिनांक : 18.11.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं के नाम के आगे पिता का नाम भमरिया एवं भमरीया दर्ज होकर गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, आयकर विभाग के पैन कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत फलीचड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, प्रार्थी स्वयं का 50/- रुपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम भमरिया/भमरीया नहीं होकर भवर होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी देवीलाल के पिता भमरिया एवं भवर को एक ही व्यक्ति होना बताया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते हैं जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते हैं वही नाम बता देते हैं। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तविक नाम से पारित नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी के पिता को जिस नाम से पुकारते थे वही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम वह नहीं था। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र</p> | |



स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंचौली पटवार हल्का कुंचौली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 94, 124 पर दर्ज आराजीयात भूमि में एवं ग्राम चमारियाखेडा पटवार हल्का कुंचौली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 39, 47, 48, 49 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थी का नाम प्रार्थी देवीलाल के पिता का नाम भमरीया/भमरिया दर्ज है, के बजाय प्रार्थी के पिता का नाम भमरीया उर्फ भंवर संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष सभी खाते बदस्तूर रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली